



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/३९८८
दिनांक : 15.09.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:- महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा छात्र/छात्राओं से प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को कतिपय महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं द्वारा मा० कुलपति जी एवं अधोहस्ताक्षरी को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

उक्त के क्रम में मा० कुलपति जी के आदेश एवं विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1200/सत्तर-३-2021-08(20)/2020 दिनांक 08 जून, 2021 एवं विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सत्र 2020-21 में लिखित परीक्षा के आधार पर प्रयोगिक परीक्षाओं के अंक दिये जायेंगे, अर्थात् सत्र 2020-21 में कोई प्रयोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी। तत्सम्बन्ध में यदि किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव का होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


कुलसचिव